कम्प्यूटरीकरण'' और 50% केन्द्रीय सहायता द्वारा राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ बनाना तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना'' की मार्फत मदद की जा रही है।

Programme to curb Ticketless Travel in South Central Railway

1115. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any programme to curb ticketless travel in South Central Railway in 1995-96;

(b) if so, the details of this programme; and;

(c) what steps are proposed to curb chain-pulling by ticketless travellers in South Central Railway?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) and (b) To curb ticketless travelling intensive drives which include regular checks, fortress checks, ambush checks, surprise checks etc. are being conducted on South Central Railway. As a result of these checks during April to October, 1995, 3.46 lakh persons were detected travelling without or with improper tickets and a sum of Rs. 4.55 crores realised from them as railway dues.

(c) To crub unauthorised alarm chain pulling on S.C. Railway, regular checks, surprise/magisterial checks are being conducted on all important Mail/Express trains in association with Railway Protection Force/Government Railway Police personnel.

Second and Third transplantation of Heart

1116. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Second and third transplant of heart were successfully done in July, 1995 in the All India Institute of Medical Sciences; and

(b) If so, after what time the second transplant of heart was done after the first transplant and the reasons for undertaking the second transplant so long after the first one?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) Yes Sir.

(b) The second transplant of heart was done after 11 months of the first transplant due to non-availability of donor heart.

चल टिकट परीक्षकों द्वारा रिश्वत लिया जाना

1117. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेलगाड़ियों में चल टिकट परीक्षकों द्वारा यात्रियों से रिश्वत लिए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान जोनवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निवारक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान प्राप्त हुई ज़ोन-वार शिकायतें इस प्रकार हैं:

रेलवे जोन	शिकायतों की संख्या
मध्य	70
पूर्व	15
उत्तर	35
पूर्वोत्तर	23
पूर्वोत्तर सीमा	-
दक्षिण	05
दक्षिण-मध्य	14
दक्षिण-पूर्व	13
पश्चिम	28

(ग) और (घ): इस बुराई पर काबू पाने के लिए सर्तकता के लिए सर्तकता और वाणिज्यिक विभागों द्वारा स्टेशनों पर और चलती गाड़ियों में निवारक, अचानक और छद्म रूप से जांच की जाती है। इसके अलावा, ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ के दौरान और पूजा की छुट्टियों में भी विशेष अभियान चलाये जाते हैं। जांच के दौरान दोषी पाये गये कर्मचारियों को उपयुक्त दण्ड दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कमजोर वर्गों के लिए आवास संबंधी योजना

1118. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु कोई नई आवास योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया): (क) से (ग) जहां तक शहरी आवास का संबंध है, केन्द्र सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास मुहैया कराने हेतु कोई नयी योजना आरम्भ नहीं की है।

तथापि, सरकार द्वारा हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम में एक आश्रय उन्नयन घटक भी है, जिसके तहत 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले कस्बों में गरीबी रेखा से नीचे के शहरी परिवारों (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1991-92 के मूल्यों पर 11,850 रुपए से कम है तथा जिनके पास भूमिधरी प्राप्त है) को, 2500 रुपए की अधिकतम सीमा तक मकान के नवीकरण/मरम्मत लागत के 25 प्रतिशत तक सरकारी इमदाद देने की व्यवस्था है। यह योजना उन सभी राज्यों में लागू कर दी गयी है, जहां पालिका निकायों के चुनाव हो चुके हैं। कार्यक्रम के इस भाग को चलाने के लिए राज्य-वार नियत राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

प्रधान मंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) 1995-96 (आश्रय उन्नयन घटक) के कार्यान्वयन के लिए नियत राज्य-वार राशि:

(रुपए लाख में)

क्र०सं०	राज्य	नियत राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	92.35
2.	असम	11.30
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.47
4.	बिहार	77.17
5.	गुजरात	54.96
6.	गोवा	8.48
7.	हरियाणा	17.24
8.	कर्नाटक	59.76
9.	केरल	24.79
10.	मध्य प्रदेश	72.79